कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर

दिनांकः 10.01.2018

प्रेस–नोट

➢ **नकली सोना देकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार।**

कल दिनांक 9.10.2017 को पुलिस थाना डीडवाना पर प्रार्थी श्री इब्राहिम निवासी निमोद ने एक रिपोर्ट पेश की कि 5–7 दिन से दो लड़के निमोद के बाहर कुचामन रोड स्थित मेरी होटल पर खाना खाने आते थे जिन्होंने एक दिन एक थैली में सोने की चेन दिखाकर बताया कि डीडवाना में मकान तोडते समय उन्हें ये चेन मिली है तथा अपनी बहन की शादी करने के लिये बेचना चाहते हैं। मुलजिमान नें प्रार्थी को डीडवाना बुलाकर 4 लाख रूपये लेकर नकली सोना देकर फरार हो गये। ठगी करने वाले आरोपियों की काफी तलाश की गई मगर उनका कोई सुराग नहीं लगा। ठगी के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जिला नागौर श्री परिस देशमुख ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिये श्री श्रीमन मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना एवं डॉ0 दीपक यादव सहायक पुलिस अधीक्षक डीडवाना के सुपरविजन में श्री जितेन्द्र सिंह पु0नि0 थानाधिकारी डीडवाना के निर्देशन में कानि0 सुरेश कुमार टेपण व प्रहलाद की टीम गठित कर मुलजिमान की तलाश के लिये रवाना किया गया। टीम द्वारा आसूचना संकलन करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त मुलजिमान मौलासर में पंचायत भवन के पीछे डेरे डालकर रह रहे हैं प्राप्त जानकारी पर डॉ0 दीपक यादव सहायक पुलिस अधीक्षक डीडवाना के नेतृत्व में श्री अब्दुल रहुफ उ0नि0, श्री शम्भुसिंह उ0नि0, श्री इकबाल खां हैड कानि0, श्री जिवराज सिह हैड कानि0, महिला कानि0 नन्दुकवंर, कानि0 पुष्पेन्द्र पुलिस थाना डीडवाना एवं श्री शम्भुसिह उ0नि0 पुलिस थाना मौलासर की टीम ने आरोपी दिनेश पुत्र टीकमाराम निवासी कांवतरा थाना भीनमाल जिला जालौर व दीपक पुत्र श्री भींमाराम निवासी भीटाला थाना बागरा जिला जालौर को बापर्दा तथा गैंग को संचालित करने वाले मंगलाराम पुत्र कानाराम निवासी भीटाला थाना बागरा जिला जालौर को प्रकरण सँख्या 175/17 धारा 420, 120बी भा0द0स0 थाना डीडवाना में गिरफ्तार किया गया तथा प्रकाश पुत्र टीकमाराम निवासी कांवत्रा थाना भीनमाल, ओबाराम पुत्र वेलाराम निवासी भागलभीम थाना भीनमाल, पारस पुत्र नवाराम निवासी भीनमाल, मोहनराम पुत्र गोमाराम निवासी बीबलसर थान बागरा, कानाराम पुत्र हरिराम निवासी धानसा थाना रामसिंध, सुरेश कुमार पुत्र कुपाराम निवासी भीनपुरा थाना रामसिंध, भंवरलाल पुत्र पुराराम निवासी बीबलसर थाना बागरा, टीकमाराम पुत्र किशनाराम निवासी कांवतरा, चम्पादेवी पत्नि टीकमाराम निवासी कांवतरा थाना भीनमाल, मंजु पत्नि ओबाराम निवासी भागलभीम थाना भीनमाल अंजा पत्नि मोहनराम निवासी बीबलसर थाना बागरा, धन्नी देवी पत्नि सुरेश उर्फ सुरिया निवासी भीमपुरा थाना रामसिंध एवं फेफीदेवी पत्नि भंवरलाल निवासी बीबलसर थाना भीनमाल को शान्ति भंग मे गिरफ्तार किया गया है।

आरोपीयों ने पुछताछ मे बताया कि सभी परिवार सहीत ही घुमते रहते हैं। जहां पर ठहरते हैं वहां से 50–60 किलो मीटर की दूरी के कस्बे में जाकर दुकानों पर घूमते हैं और विश्वास में लेकर सोने जैसी धातु की चेन दिखाकर नकली सोना देकर रूपये लेकर फरार हो जाते हैं। उक्त मुलजिमान राजस्थान में चुरू, सुजानगढ, सीकर, लोसल, डीडवाना, लाडनूं तथा गुजरात मे कई कस्बों मे ठगी की वारदातें कर चूके हैं।

———————————————